

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत खण्डीप

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

जगदीश पुत्र केदार जाति मीना निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर

बनाम

लेण्ड होल्डर तहसीलदार, वजीरपुर

मुकदमा नं. — 40/2018

निर्णय की दिनांक —22.06.2018

वादीगण की ओर से स्वयं वादी जगदीश एवं प्रतिवादी की ओर से स्वयं लेण्ड होल्डर तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 22.06.2018 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी डिक्री किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता संख्या 135 ग्राम खण्डीप (अ) में दर्ज "जगदीश पुत्र केदार नाबालिग संरक्षक माता खुद मु. कंचन बाई पत्नि स्व० केदार हि० 1/2" के स्थान पर "जगदीश पुत्र केदार जाति मीना हि० 1/2" को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। तहसीलदार, वजीरपुर को पालनार्थ लिखा जावे।


मुनिदेव यादव
सहायक कलेक्टर
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	